आज दिनांक 21.10.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित नगर भवन, मधेपुरा के बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार।

प्रस्ताव संख्या- 01

समिति के सदस्य प्रो० भूपेन्द्र ना० यादव मधेपुरी द्वारा बताया गया कि बी०पी०मंडल, नगर भवन, मधेपुरा के परिसर में पूर्व से संचालित सोशल क्लब जो अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में गठित था, उसे भंग कर दिया जाए। निर्णय में एकरूपता रहे, इस वजह से सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया।

प्रस्ताव संख्या- 02

बैठक में उपस्थित प्रो० भूपेन्द्र ना० यादव मधेपुरी के द्वारा बताया गया कि वहाँ सोशल क्लब में एक जिम भी संचालित है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तत्क्षण इसे अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा नोटिश निर्गत कर खाली करायेंगे और जब से जिम चलाया जाता है उसका भाड़ा आदि भी प्राप्त कर नगर भवन, मधेपुरा के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मधेपुरा के खाता संख्या 4241 में जमा करायेंगे। आम जनों के लिए जिम के उपयोग हेतु सरकार के तरफ से जो जिम का उपकरण क्रय किया गया है वह जिला खेल पदाधिकारी, मधेपुरा को हस्तगत कराया जा चुका है। जिला खेल पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि आम जनों के लिए बी०एन०मंडल स्टेडियम जिम को स्थापित कर आम जनों को सशर्त उपलब्ध करायेंगे। कमिटि बना कर प्रबंधन करें।

प्रस्ताव संख्या- 03

समिति के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि नगर भवन, मधेपुरा को विवाह/ उत्सव के लिए आम जनों को मुहैया कराया जाय। इसके लिए दर सर्व सम्मति से 5000/- (पाँच हजार) रूपये प्रतिदिन रखा गया।

गरीब परिवार/ बी०पी०एल० हेतु इस दर को घटा कर प्रतिदिन 3000/- (तीन हजार) रूपये कर दिया गया। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा, सचिव, बी०पी० नगर भवन, मधेपुरा एवं प्रो० भूपेन्द्र ना० यादव मधेपुरी सदस्य स्पष्ट रूप से अनुशंसा करेंगे।

व्यवसायिक उद्देश्य हेतु नगर भवन किराया पर दिया जाएगा तो प्रतिदिन 7000/- (सात हजार) रूपये के दर से देय होगा। राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक कार्य के लिए यह प्रतिदिन 3000/- (तीन हजार) रूपये देय होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षण की राशि जमा होने पर अगर आरक्षणकर्त्ता नगर भवन उपयोग नहीं करते है तो 5 दिन पूर्व सूचना देंगे और आरक्षण की राशि में से 30% कटौती कर आरक्षण की राशि वापस कर देंगे। उसके बाद सूचना देते है तो 40% की कटौती कर वापस करेंगे।

प्रस्ताव संख्या- 04

बी०पी०मंडल नगर भवन, मधेपुरा के मरम्मति ईत्यादि कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा प्रतिवेदन देंगे। आम जनों को नगर भवन में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में 3 (तीन) सदस्यी समिति गठित की जाती है।

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा, अध्यक्ष

(2) रमेश ठाकुर, अधिवक्ता

(3) प्रदीप कुमार झा, सचिव, बी0पी0मंडल नगर भवन, मधेपुरा

यह भी निर्णय लिया गया कि बी0पी0मंडल नगर भवन, मधेपुरा में पूर्व से पुराने लोहे का चदरा ईत्यादि कबारी के रूप में पड़ा हुआ है उसे समिति के देख-रेख में सामग्री की इनभेन्ट्री बनाकर स्थानीय कबारी खाना में विकी कर राशि नगर भवन, मधेपुरा के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मधेपुरा के खाता संख्या 4241 में जमा किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 5

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कैयर टैकर को प्रतिमाह आरक्षण से प्राप्त 3000/- (तीन हजार) रूपये भुगतान आरक्षण से प्राप्त राशि से चेक द्वारा किया जाय और यह भी निर्णय लिया गया कि कैयर टैकर, नगर भवन की साफ-सफाई, सुरक्षा, बागवानी एवं रख-रखाव का कार्य करेंगे। समिति के सदस्य समय-समय पर निगरानी रखेंगे।

प्रस्ताव संख्या- 6

Website पर सारी सूचनाएँ उपलब्ध कराना Booking, दर, Account Details, etc.

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई है।

21/x/13	21/x/13		21/10/13
जिला नजारत उप समाहर्त्ता मधेपुरा	सचिव बी0पी0मंडल नगर भवन, मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

21.10.13

21.10.13

प्रो0 भूपेन्द्र ना0 यादव (मधेपुरी) सदस्य

21.10.13

रमेश ठाकुर अधिवक्ता सदस्य

21/10

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा (सदस्य)

ज्ञापांक 251-2(A)/नजारत दिनांक 21/10/2013

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ कार्य0 अभियंता, ग्रामीण क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा/ सचिव, बी0पी0 मंडल नगर भवन, मधेपुरा/ प्रो0 भूपेन्द्र ना0 यादव, मधेपुरी/ श्री रमेश ठाकुर, अधिवक्ता, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, जिला नामनीत शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित/

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/

21/x/13
जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
21-10-2013